संख्या-514/2017/1822/22-2-2016-17(236)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017**

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामी प्रसाद पुत्र श्री शिव शंकर, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामी प्रसाद पुत्र श्री शिव शंकर, ग्राम सकतपुर, थाना परसपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। मेवालाल कहार का पुत्र दिनेश पानी देने के लिए गया था, तभी मनका प्रसाद ने कहा कि मेरे खेत में क्यों आये हो और उसे थप्पड़ मार दिया। इसी विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 22.11.2001 को प्रात: लगभग 06.30 बजे पेशाब करने जा रहे मेवालाल के 12 वर्षीय पुत्र गिरधारी की कांता से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 324/34 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 21.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 05 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के रिहा होने पर पीडित परिवार में तनाव बढ़ने तथा शान्ति भंग होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय अबोध बच्चे को कांता से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी स्वामी प्रसाद पुत्र श्री शिव शंकर, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी स्वामी प्रसाद (बन्दी संख्या-265/09) पुत्र श्री शिव शंकर, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-514/2017/1822(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-514/2017/1822@22-2-2016-17(236)/2017

दिनांक 30 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध बन्दी स्वामी प्रसाद (बन्दी संख्या-265/096) पुत्र श्री शिव शंकर, ग्राम सकतपुर, थाना-परसपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। मेवालाल कहार का पुत्र दिनेश पानी देने के लिए गया था, तभी मनका प्रसाद ने कहा कि मेरे खेत में क्यों आये हो और उसे थप्पड. मार दिया। इसी विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 22.11.2001 को प्रात: लगभग 06.30 बजे पेशाब करने जा रहे मेवालाल के 12 वर्षीय पुत्र गिरधारी की कांता से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 324/34 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 21.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 05 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के रिहा होने पर पीडित परिवार में तनाव बढ़ने तथा शान्ति भंग होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय अबोध बच्चे को कांता से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी स्वामी प्रसाद पुत्र श्री शिव शंकर, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।